

घाट सं 055

अंश 143 जमी वि अति

ग्राम-निवासन परगना व तहसील

निवासन जिला-खीरी

दस्तावेज

राजकार

महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रबंधक सचिव बीना कैंप कार्यालय गीताम बुद्ध पब्लिक स्कूल

निर्णय

प्रसंगत घाट महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रबंधक सचिव बीना कैंप कार्यालय गीताम बुद्ध पब्लिक स्कूल निवासन परगना व तहसील निवासन जन्मपद-खीरी द्वारा ग्राम निवासन की गाटासं 2055/0.628 हे० व गाटासं 2070/0.713 हे० में 1/2 भाग के 1/2 भाग अर्थात् 0.178 हे० को अधिकृत भूमि घोषित किए जाने हेतु नाम घोषित किया गया है।

घाट पंजीकृत कर तहसीलदार निवासन से जो व आख्या-गंगाई गई । तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि ग्राम निवासन की गाटासं 2055/0.628 हे० व गाटासं 2070/0.713 हे० में 1/4 भाग अर्थात् 0.178 हे० महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रबंधक सचिव बीना कैंप कार्यालय गीताम बुद्ध पब्लिक स्कूल निवासन परगना व तहसील निवासन जन्मपद-खीरी दर्ज कागजात है उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा नीचे पर महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रबंधक सचिव बीना कैंप कार्यालय गीताम बुद्ध पब्लिक स्कूल संघालित है अतः उक्त भूमि को अधिकृत भूमि घोषित किए जाने हेतु आख्या सर्वसति सहित प्रेषित ।

मैंने पत्रावली को उपलब्ध किया है कि तहसीलदार की आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है अतः तहसीलदार की आख्या दिनांक 14.11.15 स्वीकार किए जाने योग्य है । तहसीलदार की आख्या आदेश का अंग रहेगी।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम निवासन परगना व तहसील निवासन की गाटासं 2055/0.628 हे० व गाटासं 2070/0.713 हे० में 1/4 भाग अर्थात् 0.178 हे० जो कि महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रबंधक सचिव बीना कैंप कार्यालय गीताम बुद्ध पब्लिक स्कूल निवासन के नाम दर्ज है को अधिकृत भूमि घोषित किया जाता है । तदनुसार परवर्ती अमलदस्तावेज जारी की जायेंगे । आदेश की प्रति उपनिवेशक कार्यालय को भेजी जाए । पत्रावली सं 1040 की ।

दिनांक- 18-11-15

18-11-15  
उप जिलाधिकारी  
निवासन-खीरी

